न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 2/2016 Gcms No. 2016/00137
दायरा तिथि : 13.01.2016
निर्णय तिथिः 23-11-2021

**वादी :–**

भैरू भारती चेला कैलाश भारती भैरू अखाडा,
निवारी निम्बेश्वर रोड, फालनागांव तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

**बनाम**

**प्रतिवादी :–**

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार बाली

**उपस्थिति :–**

1. श्रीमति नीलम शर्मा — अभिभाषक वादी की ओर से
2. नायब तहसीलदार, बाली .................. पेरोकार सरकार

## –:: निर्णय ::–

दिनांक : 23-11-2021

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादी प्रस्तुत कर ग्राम फालना गांव पटवार हल्का फालनागांव तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 141 रकबा 12.95 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मेंसे 5 बीघा भूमि पर पिछले 60–70 वर्ष से भी अधिक समय से काबिज होने से घोषणा खातेदारी के साथ प्रतिवादी के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रति, धारा 91 की रसीदो की प्रतियॉ, खसरा परिवर्तनशील संवत् 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2060 की प्रतिया पेश की गई। इन अभिलेखीय साक्ष्यो के अतिरिक्त बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह पी.डब्लू.–01 वादी स्वयं भैरू भारती व गवाह पी.डब्लू–02 श्री श्यामसिंह पुत्र समन्दरसिंह जाति राजपुत निवासी फालना के बयान कलमबद्ध कराये गये।

प्रकरण में प्रतिवादी को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी तहसीलदार, बाली ने वादी के वादपत्र में वर्णित तथ्यो से असमति व्यक्त कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नही है, विगत् 30 वर्ष से औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित हैं। वादी का वादग्रस्त भूमि पर शांतिपुर्वक बेरोक–टोक कभी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। जब जब भी अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, बतौर अतिक्रमी नियमानुसार धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाती रही हैं। वादी सद्भावी काश्तकार नहीं है वरन् अतिक्रमी है तथा वादी का जीवन यापन पूजा पाठ से हैं। औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि पर गो पालन एवं सेवा के बेबुनियाद तथ्यो के आधार पर खातेदारी विधि अनुसार नहीं दी जा सकती। औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि सरकार द्वारा आरक्षित भूमि है जो कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट. की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती हैं। जिससे वादी का वाद खारिज योग्य बताया।

प्रकरण में वादी पक्ष की साक्ष्य पुर्ण होने तथा प्रतिवादी पक्ष द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं करने से उभय पक्ष वकुलाय की वहस सुनी गई। वादी पक्ष के अधिवक्ता श्रीमति नीलम शर्मा द्वारा बहस में वादपत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का विगत् 60–70 वर्षो से अधिक समय से बतौर सद्भाविक कृषक कब्जा होने व गोपालन व अखाडा की गतिविधियॉ संचालित होने से तथा टिनेन्सी एक्ट की धारा 88 के तहत राजकीय सिवायक चक भूमि पर 30 वर्ष का कब्जा होने पर खातेदारी देने के प्रावधान नियत होने से वादी विधि अनुसार खातेदार हो चुका है। जिससे टिनेन्सी एक्ट की धारा 88 के तहत वादी को वादग्रस्त भूमि फालनागांव के खसरा नंबर 141 रकबा 12.95 हैक्टर मेंसे 5 बीघा (0.80 हैक्टर) भूमि का खातेदार घोषित किये जाने के साथ प्रतिवादी के विरूद्व टिनेन्सी एक्ट की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने की दलील दी गई। विद्वान् वकील वादी की दलीलो का खण्डन करते हुये पैरोकार सरकार द्वारा दलील दी गई कि वादी सद्भाविक कृषक नही होकर वादी का जीवन निर्वाह पुजा पाठ से है। वर्णित भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि है, जो टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमियों की सूची में है, जिससे वादी किसी प्रकार से खातेदारी पाने का अधिकारी नहीं हैं। पैरोकार सरकार ने बहस के अंत में दलील दी कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अन्य अनारक्षित भूमियो की भी खातेदारी माननीय सुप्रिम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार नहीं दी जा सकती, जबकि उक्त प्रकरण में वर्णित भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि है, जिसका अन्य उपयोग नहीं हो सकता। जिससे बिना किसी आधार के वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने की दलील दी गई।

पेज नम्बर.........02

Scanned with CamScanner

**राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 2/2016 Gcms No. 2016/00137**

अनवान भैरू भारती बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादी द्वारा जिस भूमि ग्राम फालनागांव के खसरा नंबर 141 रकबा 12.95 हैक्टर मेंसे 5 बीघा (0.80 हैक्टर) भूमि का खातेदार घोषित किये जाने की मांग की जा रही है, वह भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि है, जिसका उपयोग औद्योगिक प्रयोजनार्थ ही किया जा सकता है। वादी ने वर्णित भूमि की खातेदारी 60–70 वर्ष के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर चाही है, जो प्रतिकूल कब्जा वादी का बेरोक–टोक साबित नहीं है, इसके साथ ही माननीय सुप्रिम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अतिक्रमियो को खातेदारी देने से प्रतिबंधित किया है। लिहाजा वादी द्वारा ग्राम फालना गांव के खसरा नंबर 141 रकबा 12.95 हैक्टर मेंसे 5 बीघा की खातेदारी घोषणा व सार्वकालिक निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88.188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

( श्री अतुल प्रकाश )
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 23-11-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner